न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 477–एक/15 विरूद्ध आदेश, दिनाक 10–2–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 220/अपील/13–14.

घनश्याम पुत्र सरमन यादव
निवासी ग्राम महेवा तहसील बडोनी जिला दतिया म0 प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

1 मोहन सिंह
2 भागीरथ
पुत्रगण ग्राम महेवा तहसील बडोनी जिला दतिया म0 प्र0

.....अनावेदकगण

श्री एस0 पी0 धाकड, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 02/02/2016 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण क्रमांक 477–एक/15 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 220/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक 10–2–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है ।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । निगराकार घनश्याम द्वारा वाद भूमि सर्वे नंबर 442/1 ग्राम महेवा रकबा 0.37 हैक्टेयर में से 0.05 हैक्टेयर पर अपना अंश भाग गैर निगराकारगण के साथ सहखाते में होना बताते हुए उसके बंटवारे हेतु तहसील में आवेदन लगाया। तहसील के प्रकरण में पेशी दिनांक 31–8–13 को गैर निगराकारगण

को जवाब हेतु समय दिया गया । तदुपरान्त दिनांक 12–9–13 को प्रकरण नवीन तहसील बड़ौनी में अन्तरित होकर पेश होना लिखा है, और इसी दिनांक को फर्द बंटवारा प्राप्त हुआ होना और उस पर आपत्तियां बुलाने के निर्णय का लेख है, तथा गैर निगराकारगण की अनुपस्थिति के कारण उनके विरूद्ध प्रकरण एक पक्षीय किये जाने का लेख है । तदुपरान्त तहसील न्यायालय में दिनांक 24–9–13 को गैर निगराकारगण ने उनके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय किये जाने के विरूद्ध आपत्तीं प्रस्तुत की है । इसके बाद दिनांक 28–9–13 को तहसीलदार द्वारा बंटवारा आदेश पारित किया गया है जिसमें तहसीलदार ने गैर निगराकारगण की आपत्ती को यह लिखिते हुए निरस्त किया है कि उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है और प्रकरण की कार्यवाही को अंतिम आदेश हेतु नियत होने के बाद पीछे नहीं लौटाया जा सकता। इसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी दतिया के समक्ष गैर निगराकारगण की ओर से अपील हुई है, जिन्होंने प्रकरण कमांक 28/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक 20–3–14 से अपील यह लिखते हुए खारिज की है कि उभयपक्ष को विचारण न्यायालय में सुनवाई का अवसर दिया गया था । इस आदेश के विरूद्ध गैर निगराकारगण ने अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील की, जिसमें पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 10–2–15 से अपील यह लिखते हुए स्वीकार की गई है कि दिनांक 12–9–13 की पेशी के कार्यवाही विवरण में (जब गैर निगराकारगण तहसील में उपस्थित हुये थे) प्रकरण नवीन तहसील बडौनी में लगने का कोई लेख नहीं है, ऐसे में न्यायालय व सुनवाई का स्थान बदलने की स्थिति में न्यायालय का यह दायित्व था कि पक्षकारों को सम्यक गति से स्थान परिवर्तन की सूचना दी जावे, जिसका प्रकरण में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है ।

3/ प्रकरण अनावेदक की सूचना उपरान्त अनेक पेशियों से निरन्तर अनुपस्थिति के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय किया जाता है । उनके पक्ष के बिन्दुओं को मेरे द्वारा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर समुचित रूप से विचार में लिया जा रहा है ।

निगराकारगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में प्रकरण के तथ्यों एवं निगरानी मेमो के बिन्दुओं को दोहराते हुये यह तर्क किया कि गैर निगराकारगण विधिवत सूचित थे, तथा तहसील परिवर्तन की जानकारी एक सार्वजनिक जानकारी थी। इन आधारों पर उन्होंने निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4/ तर्कों एवं अभिलेखों के प्रकाश में मैने प्रकरण पर गंभीरता से विचार किया। इसके उपरान्त मैं स्वंय को अपर आयुक्त के इस निष्कर्ष से सहमत पाता हूँ कि दिनांक 12–9–13 की पेशी के कार्यवाही विवरण में (जब गैर निगराकारगण तहसील में उपस्थित हुये थे) प्रकरण नवीन तहसील बडौनी में लगने का कोई लेख नहीं है, ऐसे में न्यायालय व सुनवाई का स्थान बदलने की स्थिति में न्यायालय का यह दायित्व था कि पक्षकारों को सम्यक गति से स्थान परिवर्तन की सूचना दी जावे, जिसका प्रकरण में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है । साथ ही मैं तहसीलदार दतिया को यह निर्देश भी देता हूँ कि वे अपने न्यायालय का प्रकरण कमांक 56/अ–27/12–13 पुनः खोलें, एवं उसमें निगराकार के साथ गैर निगराकारगण को भी अपना पक्ष समर्थन करने का पुनः अवसर देते हुए, प्रकरण में नए सिरे से बोलते स्वरूप का आदेश पारित करें। ऐसा नवीन आदेश तहसीलदार, उन्हें राजस्व मण्डल के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम 3 माह के भीतर पारित करें । उभयपक्ष विशेषकर गैर निगराकारगण, तहसीलदार को यह कार्यवाही 3 माह की निर्देशित समय सीमा में पारित करने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करें, एवं उन्हें इस राजस्व मण्डल के आदेश की संसूचना के अथवा तहसीलदार की ओर से सूचना पत्र प्राप्त होने की (जो भी पहले हो) अधिकतम 15 दिन के भीतर, वे (उभयपक्ष के पक्षकारगण) तहसीलदार के समक्ष अपने पक्ष समर्थन हेतु अनिवार्यतः उपस्थित हों एवं तदुपरान्त आगामी पेशियों पर विधिवत उपस्थित होते रहें, जो उनके द्वारा नहीं किये जाने की स्थिति में तहसीलदार उनके विरूद्ध (विधि एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए) एक पक्षीय कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होंगे । प्रकरण में यह आगे की सुनवाई नवीन तहसील बड़ौनी में ही हो ।

उपरोक्तानुसार नवीन आदेश पारित होने तक के लिए तहसीलदार का पूर्व आदेश दिनांक 28–9–13 प्रभावहीन रहेगा ।

इसी के साथ अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश का वह अंश जिसमें उन्होंने तहसील में नवीन आवेदन प्राप्त होने पर कार्यवाही का लेख किया है, को अधिक्रमित करते हुए, उनके आदेश का शेष भाग यथावत् रखा जाता है । निगरानी आक्षेपित आदेश के इतने भाग अधिक्रमण को छोड़कर अस्वीकार की जाती है । निर्देशित समय सीमा का पालन हो ।

पक्षकार एवं तहसीलदार बड़ौनी सूचित हो ।
अभिलेख वापस हो ।
आदेश पारित ।
प्रकरण समाप्त ।
दा0द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर